संख्या-16/2026/46/सैंतीस-2-2026-1(16)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 फरवरी, 2026

विषयः- **"विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना" की गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश में 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल 190.20 लाख गोवंशीय व 330.18 लाख महिशवंशीय पशु हैं, जिसमें से प्रजनन योग्य 89.36 लाख गोवंशीय व 153.12 लाख महिशवंशीय मादा पशु हैं, जो कुल बोवाईन पशुओं की संख्या के आधे से भी कम है। पशुधन विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन पर आधारित है। कम समय में आनुवंशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है। कृत्रिम गर्भाधान के उपरान्त अतिशीघ्र मादा पशु के गर्भित होने/न होने के सम्बन्ध में विभाग अन्तर्गत कोई तकनीक आधारित योजना संचालित न होने के कारण गर्भ परीक्षण पारम्परिक/प्रचलित विधि से 03 माह के पश्चात् किया जाता है। उक्त अवधि कम करने के उद्देश्य से नवीन तकनीक आधारित गर्भ परीक्षण किट से गर्भित पशु के गर्भ परीक्षण एवं परिणाम प्राप्त करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर आई०टी० इनेबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना (रा०यो०) का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

विकास खण्ड स्तर पर आई०टी० इनेबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना (रा०यो०)

योजना का औचित्य एवं उद्देश्य :-

पशुपालक के लिए उसका पशु आर्थिक सुरक्षा हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है और पशु का गर्भित होना या न होना उसकी इस आर्थिक सुरक्षा का आधार है। डेयरी पशुओं में बेहतर प्रजनन प्रबन्धन एवं गाय/भैंस से औसतन प्रति वर्ष एक बच्चा प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक और सटीक गर्भावस्था निदान एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है, ताकि अगर्भित (खुले) पशु की पहचान कर पुनः गर्भाधान कराया जा सके एवं दो ब्यात के अन्तराल को कम किया जा सके। उन्नत संतति प्राप्त करने हेतु कृत्रिम गर्भाधान करना ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु प्रारंभिक अवस्था में ही गर्भ परीक्षण कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्यतः फील्ड स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा गोवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करने के तीन माह उपरान्त मलाशय द्वारा गर्भ परीक्षण किया जाता है, किन्तु गर्भ परीक्षण किट के माध्यम से गर्भ परीक्षण 01 माह के अन्दर किया जा सकता है। अर्थात् मलाशय द्वारा गर्भ परीक्षण में पशुपालक को तीन माह तक पशु के गर्भ परीक्षण के परिणाम का इंतजार करना पड़ता है और यदि पशु अगर्भित होता है, तो पशुपालक को लगभग दो माह के दुग्ध उत्पादन का नुकसान होता है साथ ही चारे, दाने एवं रख-रखाव में अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है, जो कि पशुपालक के लिए आर्थिक भार है।

उक्त के दृष्टिगत कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष पशु के गर्भित होने/न होने का परीक्षण गर्भपरीक्षण किट के माध्यम से किया जाना बेहतर विकल्प है। इस विधि द्वारा गोवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के 28 दिन के उपरान्त गर्भावस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। योजना के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश के 04 क्षेत्रों (यथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के 04 चिन्हित जनपदों के 05 चिन्हित विकास खण्डों पर पायलेट बेसिस पर आई टी इनैबल्ड गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

<u>योजना का स्वरूप :-</u>

योजनान्तर्गत प्रदेश के 04 क्षेत्रों (यथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल मध्य उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के 04 चिन्हित जनपदों के 05 चिन्हित विकास खण्डों में आई.टी. इनैबल्ड गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की पायलेट बेसिस पर स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। कार्य योजना में चिन्हित विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर एक-एक प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु गर्भ परीक्षण (वर्गीकृत वीर्य से किये गये कृत्रिम गर्भाधान) के लिए गर्भ परीक्षण किट उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान किट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक प्रयोगशाला में कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी (पशुचिकित्साविद) को टैबलेट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रयोगशाला प्रभारी (पशुचिकित्साविद) को गर्भ परीक्षण किट विधि द्वारा गर्भ परीक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा ब्लड कलेक्शन बॉयल में पशु का रक्त नमूना एकत्रित कर प्रयोगशाला प्रभारी/पशुचिकित्साविद् को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु पशुपालक से कोई भी शुल्क/ धनराशि नहीं लिया जायेगा तथा गर्भ परीक्षण किट के निष्कर्ष से पशुपालक को दैनिक रूप से एवं परिषद को एक निश्चित समय अन्तराल पर संकलित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>क्रियान्वयन/अनुश्रवण :-</u>

- प्रदेश के 04 क्षेत्रों (यथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के 04 चिन्हित जनपदों के 05 चिन्हित विकास खण्डों के पशुचिकित्सालय के माध्यम से आई०टी० इनेबल्ड गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला पायलेट बेसिस पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु गर्भ परीक्षण (वर्गीकृत वीर्य से किये गये कृत्रिम गर्भाधान) हेतु उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत गर्भ परीक्षण किट उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्येक प्रयोगशाला में कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी/पशुचिकित्साविद् को आंकड़ों के डिजिटल संग्रहण हेतु टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा।
- पशुचिकित्साधिकारी को गर्भ परीक्षण किट विधि द्वारा गर्भ परीक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा ब्लड कलेक्शन वॉयल में पशु का रक्त नमूना एकत्रित कर प्रयोगशाला प्रभारी/पशुचिकित्साविद् को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त हेतु पशुपालक से कोई भी धनराशि नहीं ली जायेगी।
- गर्भ परीक्षण किट के निष्कर्ष से पशुपालक को दैनिक रूप से एवं परिषद को एक निश्चित समय अन्तराल पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- योजना का अनुश्रवण तहसील स्तरीय उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक-ग्रेड-2 एवं राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ तथा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय उपाशय :-

(राजस्व)

विकास खण्ड स्तर पर आई०टी० इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना (रा०यो०) को चालू कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने हेतु राजस्व पक्ष में निम्नानुसार विभिन्न मादक मदों में धनराशि का प्राविधान किया जायेगा :-

1. मानक मद 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई आवंटित बजट के सापेक्ष प्रत्येक केन्द्र पर लेखन सामग्री और फार्मों/प्रारूप की छपाई पर व्यय किया जायेगा।
2. मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में आवंटित बजट के सापेक्ष प्रत्येक केन्द्र हेतु कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण का उपार्जन किया जायेगा।
3. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित बजट के सापेक्ष प्रत्येक केन्द्र हेतु गर्भ परीक्षण किट, ब्लड कलेक्शन वॉयल आदि का उपार्जन किया जायेगा।
4. मानक मद 48-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में आवंटित बजट के सापेक्ष प्रत्येक केन्द्र पर कार्यालय उपयोग के लिए प्रयोगशाला प्रभारी को एक-एक टेबलेट का उपार्जन कर उपलब्ध कराया जाना है।

प्रस्तावित योजना पशुपालकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ प्रदेश की संकल्पित वन ट्रिलियन डॉलर (ओ०टी०डी०) के लब्धि में सहायक होगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-16/2026/46(1)/सैंतीस-2-2026-1(16)/2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।